संख्या-142 /2018/3368/89-व्या0शि0एवं कौ0वि0वि0-2018-01(एसएनडी)/2013टीसी4

प्रेषक,

राजेन्द्र प्रसाद,
विशेष सचिव ,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशिक्षण एवं सेवायोजन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास अनुभाग लखनऊ दिनांक 06 नवम्बर,2018

विषय-राजकीय औद्योगिक प्राशिक्षण संस्थान,**ठाकुरद्वारा मुरादाबाद के** भवन निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्र संख्या-3196/तीन/वि-4-/भूमि/भवन/**ठाकुरद्वारा** /2014-15, दिनांक 17-09-2018 के संदर्भ में अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 में स्थापित किये गये राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान,**ठाकुरद्वारा मुरादाबाद** के भवन निर्माण हेतु शासनादेश संख्या-1201/89-व्या0शि0-2013-5(पी)/2010, दिनांक 29-03-2013 द्वारा निर्धारित एवं शासनादेश संख्या-46/2015/171/89-व्या0शि0एवं कौ0वि0वि0-2015-5(पी)/ 2010, दिनांक 11-03-2015 द्वारा पुनरीक्षित मानकीकृत लागत रूपये 627.51 लाख पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुए शासनादेश संख्या-78/2015/872/89-व्या0शि0एव कौ0वि0वि0-2015-01(एसएनडी)/2013, दिनांक 30-03-2015 द्वारा प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रूपये 166.00 लाख शासनादेश संख्या-135/2016/1871/89-व्या0शि0एवं कौ0वि0वि0-2016-01(एसएनडी)/2013, दिनांक 24-05-2017 द्वारा रू0 250.00 लाख तथा शासनादेश संख्या-24/2017/714/89-व्या0शि0एवं कौ0वि0वि0-2017-01(एसएनडी)/2013, दिनांक 27-03-2017 द्वारा रू0 211.51 लाखअर्थात कुल धनराशि रू0 627.51 लाख की स्वीकृति निर्गत की गयी का कृपया संदर्भ ग्रहण करें ।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल कार्यदायी संस्था द्वारा प्रस्तुत किए गये पुनरीक्षित आगणन के सापेक्ष मूल्यांकित लागत रूपये 694.81 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुए मूल्यांकित लागत के सापेक्ष अन्तरकी धनराशि रूपये 67.30 लाख (रूपये सरसठलाख तीस हजारमात्र) की स्वीकृति वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने एवं व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति शासनादेश संख्या-78/2015/872/89-व्या0शि0-2015-01(एसएनडी)/2013, दिनांक 30-03-2015, शासनादेश संख्या-135/2016/1871/89-व्या0शि0-2016-01(एसएनडी)/2013, दिनांक 24-05-2017, शासनादेश संख्या-24/2017/714/89-व्या0 शि0-2017-01(एसएनडी)/2013, दिनांक 27-03-2017 में निर्धारित शर्तो के साथ-साथ निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) प्रायोजना प्रस्ताव में वर्क टू बी डन की लागत हेतु जी0एस0टी0 की लागत नियमानुसार एवं वास्तविकता के आधार पर देय होगी। इस हेतु प्रायोजना के पुन परीक्षण की आवश्यकता नही होगी ।

(2) समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य कराया जाय ।

(3) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व निदेशालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है ।

(4) कार्य की विशिष्टियां ,मानक व गुणवत्ता सुनिश्चित करने का दायित्व निदेशालय का होगा तथा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण कर लिया जाया इसके उपरान्त पुनरीक्षण के आधार पर कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की जायेगी।

(5) प्रायोजनामें वाहय विद्युत संयोजन हेतु एक मुश्त लागत प्रस्तावित की गयी है ।अत इस कार्य मद का सम्बन्धित विभाग द्वारा विस्तृत आगणन गठित किया जाय तथा इस विस्तृत आगणन पर सक्षम स्तरकी तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की जाय ।

(6) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता माना जायेगा जिसका उत्तरदायित्व निदेशालय का होगा।

(7) कार्यदायी संस्था को नियमानुसार निर्धारित सीमा तक ही सेन्टेज चार्ज दिया जायेगा तथा लेबर सेस की निर्धारित धनराशि का भुगतान श्रम विभाग को किया जायेगा।

(8) प्रभाग द्वाराप्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की मात्राओं को यथावत मानते हुए मात्र दरों का परीक्षण किया गया है । मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किए जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था /निदेशालय का होगा ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(9) प्रायोजनान्तर्गत मिटटी भराई हेतु रू0 13.35 लाख की धनराशि का प्रावधान किया गया है । जिलाधिकारी द्वारा गठित तकनीकी समिति से संस्तुति न हाने के कारण इस मद में प्राविधानितधनराशि के सापेक्ष फिलहाल एक मुश्त रू0 5.00 लाख की धनराशि अनुमन्य की गयी है ताकि निर्माण कार्य में कोई कठिनाई न हो । अवशेष धनराशि जिलाधिकारी द्वारा गठित तकनीकी सिति की संस्तुति के पश्चात देय होगी । इस हेतु पुन- परीक्षण की आवश्यकता नही होगी ।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-69 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक 4250-अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-203-रोजगार-03-अल्पसंख्यक बाहुल्य विकास खण्डों एवं अन्य क्षेत्रों में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानकी स्थापना-24 वृहद् निर्माण कार्य नामें डाला जायेगा।

4- उक्त स्वीकृत धनराशि का मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप में वित्त विभाग एवं व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग को प्रतिमाह उपलब्ध कराये जायेंगे तथा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018 दिनांक 30-03-2018 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-11- 1257 /दस-2018, दिनांक 05 नवम्बर 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(राजेन्द्र प्रसाद)
विशेष सचिव

<u>संख्या-3368(1)/89-व्या0शि0एवं कौ0वि0वि0-2018 तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश इलाहाबाद
2- महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम ,उ0प्र0 इलाहाबाद
3- सम्बंधित जिलाधिकारी /वरिष्ठ कोषाधिकारी ,जवाहर भवन लखनऊ
4- प्रबन्ध निदेशक,उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद लखनऊ ।
5- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-11/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 ।
6- वित्त नियंत्रक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन,उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
7- सम्बंधित जनपद के नोडल प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान(द्वारा निदेशक)
8- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय, उत्तर प्रदेश,125,जवाहर, भवन,लखनऊा
9- गार्ड फाईल

आज्ञा से,

(राजेन्द्र प्रसाद)
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।